

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/२१९६  
दिनांक : ३०.७.२०१८

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—९७५/७९—वि—१—१४—१(क)१९/२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा—३७(२) के परन्तुक के अधीन आई०ए०ए०म०आर० कालेज, १२ किमी० मेरठ—बागपत रोड पॉचली खुर्द, मेरठ को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रम (एक—एक सैक्षण) में स्ववित पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१८ से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

०१. सरथा द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा—३७(२) में प्राविधिक परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
०२. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सर्वान्तर सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा—प्रामूल का नवीनीकरण, अनिश्चयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र रक्षण रत्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
०३. संस्थान/महाविद्यालय सर्वान्तर सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ध प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
०४. संस्था शासनादेश संख्या—२८५१/सत्तर—२—२००३—१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
०५. यदि सरथा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक २३.०७.२०१८ के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार आई०ए०ए०म०आर० कालेज, १२ किमी० मेरठ—बागपत रोड पॉचली खुर्द, मेरठ को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रम (एक—एक सैक्षण) में स्ववित पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१८ से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है किशिकाको की नियुक्ति कराकर विश्वविद्यालय को एक माह के अंदर उपलब्ध करा देगा। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. रायिव, आई०ए०ए०म०आर० कालेज, १२ किमी० मेरठ—बागपत रोड पॉचली खुर्द, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
३. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमीटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वैवसाईट पर भालने का काट करें।
८. गार्ड फाइल हेतु।

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/९५०३  
दिनांक : २८.१२.२०२०

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-९७५/७९- वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा-३७ की उपधारा-२ द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति के आलोक में आई०ए०ए०आर० कालेज, १२ किमी, मेरठ बागपत रोड, पांचली खुर्द, मेरठ को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए०पा० पाठ्यक्रम (१०० सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०२० से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

०१. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) में प्राविद गानित परन्तुक के अनुसार बी०ए०पा० पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर लिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश स्वत निरस्त माना जायेगा।
०२. संस्थान/महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
०३. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उत्तिलिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। इट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का अनुपालन संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
०४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक ०६.०८.२०२० के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार आई०ए०ए०आर० कालेज, १२ किमी, मेरठ बागपत रोड, पांचली खुर्द, मेरठ को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए०पा० पाठ्यक्रम (१०० सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०२० से सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

मवदीय,

कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

१. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
२. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
३. सचिव, आई०ए०ए०आर० कालेज, १२ किमी, मेरठ बागपत रोड, पांचली खुर्द, मेरठ।
४. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
५. प्रभारी, कर्मटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
८. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वैवसाईट पर डालने का कार्य करें।
९. गार्ड फाइल हेतु।

१८.१२.२०२०  
कुलसचिव  
८४२२८८